सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 23, मंगलवार, *शाके* 1945-जून 13, 2023 *Jyaistha 23, Tuesday , Saka 1945- June 13, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 12, 2023

संख्या प.1(1)न्याय/2023 :-नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारिता वाला विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है। उक्त न्यायालय का अधिकारिता क्षेत्र कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा। उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती हैः-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) संख्या 2, जोधपुर	जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

नोट:- वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जोधपुर का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) संख्या 1, जोधपुर किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।